

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

कमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2012

जयपुर, दिनांक 11 JUL 2012

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.6.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	37/2011	श्रीमती शिल्पी कौशिक, वरिष्ठ लेखाधिकारी निदेशालय विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें आई.ई.सी., जयपुर	11/44, गांधीनगर	30.6.2031
2	14/2012	श्री सी. एस. मेहता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर	504, पंचम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.7.2014
3	15/2012	श्री सीताराम गौणा उप निदेशक, राज्यबीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग, साधारण निधि वित्त भवन, जयपुर	704, सप्तम तल मॉडल टाउन मालवीयनगर	28.2.2018

राज्यपाल की आज्ञा से

20

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संगामीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, भिनी सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, जीएफएण्डआर वित्त विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग (साधारण बीमा वित्त भवन) जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिव, नय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित विभागध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटि से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लायें।
11. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकोम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करायें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर बसवा करायें।
14. श्रीमती शिल्पी कौशिक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें आई.ई.सी., जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
15. श्री सीताराम गौणा, उप निदेशक, राज्यबीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग, साधारण निधि वित्त भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
16. निदेशक, उद्यान विज्ञान सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. संबंधित अधिकारीसमक्ष।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सच.प्र.वि।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
21. संबंधित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

OIC(Web)
A
17-7-12